

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुधाटे)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 165 वर्ष 2024

आवेदक- आशा देवी उर्फ आसो देवी

केता-विश्वनाथ महतो वर्ग०

ग्राम-हुरलुंग टोला-तिरहोतिया

ग्राम-जरिया

थाना-चतरोचट्टी

जिला-बोकारो

थाना- चतरोचट्टी

जिला-बोकारो

आदेश की क०स०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
कार्रवाई के बा
टिप्पणी तारीख
03

30/11/24

आदेश

यह वाद आवेदक-आशा देवी उर्फ आसो देवी, पति-श्री महादेव महतो, ग्राम-हुरलुंग टोला-तिरहोतिया, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
जरिया	02	28	657	30 डी०	07½डी०	एक टांड एवं वर्तमान स्वरूप में परती
जरिया	02	28	665	2 डी०	½ डी०	एक टांड एवं वर्तमान स्वरूप में परती
जरिया	02	28	655	2 डी०	½ डी०	मकान एवं वर्तमान स्वरूप में परती

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में केता-01.विश्वनाथ महतो पिता-स्व० शंकर महतो, 02.किरक महतो पिता- स्व० झरी महतो, 03.पैरी देवी पति स्व० किशुन महतो, ग्राम-जरिया, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक-970/रा०, दिनांक-05.09.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-863, दिनांक-25.10.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं केता कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत

आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।

बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में सुकरा महतो वर्ग० के नाम से दर्ज हैं सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-79, भौलुम सं०-1 पर आसु देवी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष-1977-78 एवं 2024-25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।

02. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध स्वयं का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।

03. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, तथा अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में सुकरा महतो वर्ग० के नाम से दर्ज हैं सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-79, भौलुम सं०-1 पर आसु देवी के नाम से जमाबंदी

कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष-1977-78 एवं 2024-25 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाल की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।
02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला का निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाल के आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक- आशा देवी उर्फ आसो देवी, पति-श्री महादेव महतो, ग्राम-हुरलुंग टोला-तिरहोतिया, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
जरिया 2	28	657	30 डी०	07½ डी०	निज क्रेतागन	निज क्रेतागन	निज क्रेतागन	कलपु महतो वगै०
जरिया 2	28	665	2 डी०	½ डी०	उगन जोल्हा	निज क्रेतागन	सीमाना मौजा हुरलुंग	भोला महतो
जरिया 2	28	655	2 डी०	½ डी०	निज क्रेतागन	रास्ता	निज क्रेतागन	हरदयाल महतो
कुल				08½ डी० (आठ पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र)				

मौ० 1,00,000/- (एक लाख) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-01.विश्वनाथ महतो पिता-स्व० शंकर महतो, 02. किरक महतो पिता- स्व० झरी महतो, 03.पैरी देवी पति स्व० किशुन महतो, ग्राम-जरिया, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।